"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 14-25/2012/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक 1328/839/06/19-तक., दिनांक 20-02-2006 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बालोद जिले में राजनांदगांव-अर्जुन्दा-गुण्डरदेही मार्ग के कि.मी. 34/10 पर स्थित चिचलगोंदी नाला पर पथकर की वसूली, दिनांक 10-06-2013 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2013

क्रमांक एफ 14-25/2012/19/तक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th June 2013

NOTIFICATION

No. F-14-25/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the state of Chhattisgarh and in supersession of Previous Notification No. 1328/839/06/19/Tech., Dated 20-02-2006, the State Government, hereby, revokes the levy of toll on Chichalgondi Nalla Bridge, located at 34/10 km. of Rajnandgaon-Arjunda-Gunderdehi Road in Balod District, with effect from 10-06-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.